



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)

रेलवे रोड, हर्षावाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) - 248001 Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685993; Fax : +91-135-2685124; Email : uttarakhandayurveda@gmail.com; Website : www.uau.ac.in;

पत्रांक:- 3014 /उ0आ0वि0/2023-24

दिनांक:- 02 मार्च 2024

संशोधित कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश संख्या 2991/उ0आ0वि0/परिक्षा 2022 दिनांक 28/02/2024 के क्रम में निजी संस्थान के प्राचार्य को अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में बी0ए0एम0एस0 बैच 2021-22 के काउंसिलिंग से इतर प्रवेशित छात्र-छात्राओं की परीक्षा हेतु जो समय सारणी में कालम स0 05 में दिवस टंकनत्रुटि होने के फलस्वरूप निम्नानुसार जारी की जा रही हैं।

बी0ए0एम0एस0 प्रथम व्यावसायिक बैच 2021-22 न्यू पैटर्न की मुख्य परीक्षा की समय सारणी निम्नवत हैं:-

बी0ए0एम0एस0 (प्रथम व्यवसायिक) न्यू पैटर्न मुख्य परीक्षा

क्र0सं0	विषय	प्रश्न पत्र	दिनांक	दिवस
1	पदार्था विज्ञान	प्रश्न-पत्र प्रथम	12.03.2024	मंगलवार
		प्रश्न-पत्र द्वितीय	14.03.2024	बृहस्पतिवार
2	क्रिया शारीर	प्रश्न-पत्र प्रथम	16.03.2024	शनिवार
		प्रश्न-पत्र द्वितीय	19.03.2024	मंगलवार
3	संहिता अध्ययन 01	-	21.03.2024	बृहस्पतिवार
4	रचना शारीर	प्रश्न-पत्र प्रथम	23.03.2024	शनिवार
		प्रश्न-पत्र द्वितीय	27.03.2024	मंगलवार
5	संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास	प्रश्न-पत्र प्रथम	30.03.2024	शनिवार
		प्रश्न-पत्र द्वितीय	02.04.2024	मंगलवार

उपरोक्त मुख्य परीक्षा का समय अपरान्ह 10:00 बजे से पूर्वाह्न 01:बजे तक रहेगा।

2- उपरोक्त परीक्षाओं के परीक्षा फार्म एवं निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय को दिनांक 05.03.2024 (मंगलवार) तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित परिसर/निजी आयुर्वेद संस्थान का होगा।

3-पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या-2991/उ0आ0वि0/परिक्षा/2023-24 दिनांक 28 फरवरी, 2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा शेष शर्तें पूर्व की भाँति यथावत् रहेगी।

4- उक्त आदेश मा0 कुपति महोदय जी के आदेशानुसार निर्गत किया जा रहा है।।

(प्रो0ओम प्रकाश सिंह)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निजी सचिव माननीय कुलपति महोदय उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून।
- 2- प्राचार्य उपरोक्त निजी सम्बद्ध संस्थान।
- 3- श्री हेमन्त पंत अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल को मा0 न्यायालय के सज्ञानार्थ।
- 4- श्री भूपेश कण्डपाल अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल को मा0 न्यायालय के सज्ञानार्थ।
- 5- परीक्षा अनुभाग / सम्बद्धता अनुभाग उ0आ0वि
- 6- गार्ड फाइल

परीक्षा नियंत्रक

